



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक : जनवरी, 2026

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,

कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,

सेंट्रल रोड, एम.आई.डी.सी., अंधेरी(पूर्व) मुंबई-400093

विषय : राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अंधेरी(पूर्व) मुंबई के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2025-रा.भा.नी., दिनांक 18.12.2025 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 07-01-2026
(18/01/2026)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि :-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)



संख्या : ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक : फरवरी, 2026

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,
जाजमऊ, कानपुर-208010 (उत्तर प्रदेश)।

विषय : राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2025-रा.भा.नी., दिनांक 18.12.2025 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 07-01-2026
(श्रेयम कुंभारे)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2025

का.आ. 2197.—केंद्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है:

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अंधेरी, मुंबई
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, जाजमऊ (उत्तर प्रदेश)
4. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, बहरमपुर, पश्चिम बंगाल

[सं. ई-11016/1/2025-रा.भा.नी:]

अतनु कुमार चौधुरी, उपमहानिदेशक

(Hindi Section)

New Delhi, the 18th December, 2025

S.O. 2197.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Ministry of Labour & Employment, more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

1. Employees' Provident Fund Organization, Regional Office, Guwahati
2. Employees' State Insurance Corporation Medical College and Hospital, Andheri, Mumbai
3. Employees' State Insurance Corporation Hospital, Jajmau (Uttar Pradesh)
4. Employees' Provident Fund Organisation, Regional Office, Behrampur, West Bengal

[No. E-11016/1/2025-RBN]

ATANU KUMAR CHOWDHURY, Dy. Director General

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

का.आ. 2198.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद बैंक के प्रबंधन, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1 धनबाद के पंचाट (186/2001) प्रकाशित करती है।

[सं. एल-12011/106/2011-आईआर(बी-II)]

सलोनी, उप निदेशक

New Delhi, the 19th December, 2025

S.O. 2198.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. 186/2001) of the *Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad* as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Allahabad Bank their workmen.

[No. L-12011/106/2011- IR (B-II)]

SALONI, Dy. Director